VIII

सामुदायिक गतिशीलता

8.1 सूचना, शिक्षा और संचार

सूचना, शिक्षा और संचार (सू.शि.सं.) तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा (पो.स्वा.शि.) स.बा.वि.से. के दो घटक हैं जिनका उद्देश्य बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए समाज के व्यवहार में निरन्तरता एवं अभिरूचि-परिवर्तन लाना है। सू.शि.सं का मुख्य उद्देश्य जागरूकता पैदा करना तथा स.बा.वि.से. की छवि का निर्माण, इसकी सेवाओं की मांग को उत्प्रेरित करना, बाल-देखभाल में अभिरूचि-परिवर्तन एवं व्यवहार की आदतों का निर्माण, पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल तथा निरन्तर सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार को एक विशेष समूदाय/क्षेत्र की संचार सेवाओं की आवश्यकता का आकलन करके वार्षिक कार्यन्वयन योजना तैयार करनी थी और तदनुसार, सू.शि.स. योजना का निर्माण करना था।

8.1.1 सू.शि.सं. पर व्यय

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सू.शि.सं. कार्यकलापों को किए जाने हेतु ₹25000 प्रति क्रियाशील परियोजना प्रतिवर्ष की राशि की दर पर वर्ष 2008-09 तक प्रावधान था जो वर्ष 2009-10[1] से ₹1000 प्रति क्रियाशील आं.के. प्रति वर्ष के रूप में संशोधित की गई थी।

मंत्रालयों में उपलब्ध व्यय विवरणों (व्य.वि.) की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि इस मद में राज्यों एवं सं.शा.क्षे. को जारी निधियों की तुलना सू.शि.सं. कार्यकलापों पर किए गए व्यय में महत्वपूर्ण कमी हुई थी। उन राज्यों जिन्होंने सू.शि.स. पर निधियों का व्यय नहीं किया था तथा जहां 40 *प्रतिशत* से अधिक की कमी थी को तालिका 8.1 में सूचीबद्ध किया गया है (राज्यवार विवरण **अनुबंध 8.1** में दिया गया है)

[1] एक परियोजना में लगभग 100 से 200 आं.के. थे।

तालिका 8.1 सू.शि.सं. कार्यकलापों के लिए निधियां का उपयोग न किया जाना

वर्ष	राज्य/सं.शा.क्षे. जिन्होंने सू.शि.सं. पर कोई राशि खर्च नहीं की	राज्य/सं.शा.क्षे. जहां 40 से 99 *प्रतिशत* की कमी थी
2006-07	असम, गुजरात, झारखण्ड तथा मणिपुर (4)	पश्चिम बंगालः 83 *प्रतिशत*, तमिलनाडुः 63 *प्रतिशत*, दिल्लीः 52 *प्रतिशत* तथा पंजाबः 45 *प्रतिशत* (4)
2007-08	गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल (4)	कर्नाटकः 93 *प्रतिशत*, तमिलनाडुः 62 *प्रतिशत*, मध्य प्रदेशः 51 *प्रतिशत* तथा पंजाबः 46 *प्रतिशत* (4)
2008-09	दिल्ली, गोवा, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल (4)	कर्नाटकः 95 *प्रतिशत*, पंजाबः 56 *प्रतिशत* उत्तर प्रदेशः 54 *प्रतिशत* (3)
2009-10	दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मणिपुर, ओडीशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल (8)	कर्नाटकः 94 *प्रतिशत*, पंजाबः 93 *प्रतिशत*, हरियाणाः 80 *प्रतिशत*, उत्तराखण्डः 57 *प्रतिशत* तथा मध्य प्रदेशः 55 *प्रतिशत* (5)
2010-11	दिल्ली, गोवा, मणिपुर तथा पश्चिम बंगाल (4)	पंजाबः 96 *प्रतिशत*, ओडीशाः 89 *प्रतिशत*, हरियाणाः 83 *प्रतिशत*, आन्ध्र प्रदेशः 63 *प्रतिशत*, कर्नाटकः 62 *प्रतिशत*, केरलः 47 *प्रतिशत* तथा मध्य प्रदेशः 42 *प्रतिशत* (7)

प्रतिशत राज्यों में नमूना जांच में आगे प्रकट हुआ कि राज्यों के सू.शि.सं. बजट के अंतर्गत व्यय में कमी आई थी। 2006-11 के दौरान 12 नमूना जांच किए गए राज्यों[2] में वास्तविक व्यय ₹71.24 करोड़ था और परिणामतः व्यय में 52 *प्रतिशत* की कमी थी (राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध 8.2** में दिया गया है)। पांच राज्यों (बिहारः 13 *प्रतिशत*, गुजरातः 30 *प्रतिशत*, हरियाणाः 35 *प्रतिशत*, उत्तर प्रदेशः 42 *प्रतिशत* तथा आन्ध्र प्रदेशः 44 *प्रतिशत*) में सू.शि.सं. के अंतर्गत निधियों का उपयोग 2006-11 की अवधि में किए गए कुल प्रावधान के आधे से भी कम था।

आगे, चार नमूना जांच किए गए राज्यों (बिहारः 81 *प्रतिशत*, गुजरातः 100 *प्रतिशत*, कर्नाटकः 77 *प्रतिशत* तथा उत्तर प्रदेशः 89 *प्रतिशत*) में सू.शि.सं. पर व्यय राज्य स्तर पर सर्वाधिक था। यह दर्शाता था कि सू.शि.सं. नीति की संभावना का परियोजना तथा आं.के. स्तर पर पूर्ण स्थापित नहीं हुआ था।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2012) कि राज्यों/सं.शा.क्षे. को सू.शि.सं. के अंतर्गत व्यय न करने के कारणों को बताने के लिए बार-बार कहा गया था। इस मामले को समीक्षा बैठक तथा राज्य दौरे/निरीक्षण के दौरान उठाया गया था। इसने आगे बताया (नवम्बर 2012) कि वर्ष 2012-13 से सू.शि.सं. को शामिल करते हुए कार्यक्रम के घटकों की पूरी लागत को अनुदान की दूसरी किश्त में शामिल कर लिया गया था जिससे राज्य सू.शि.सं. कार्यकलापों के लिए निर्धारित निधियों को समय पर व्यय कर सकें।

[2] पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त सभी नमूना जांचित राज्यों में

मामला अध्ययनः उत्तर प्रदेश में सू.शि.सं. निधियों का अनुचित उपयोग

- 2006-09 की अवधि के दौरान, सू.शि.सं. के लिए निर्धारित ₹3.89 करोड़ की राशि को उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम के व्यक्तिगत बही खाते में रखा गया था। इस जमा राशि में से ₹1.77 करोड़ आगामी वर्षों में व्यय किया गया था जबकि ₹2.12 करोड़ के शेष को मार्च 2010 में वापस कर दिया गया था। निधियों को जारी किए जाने में देरी, मुद्रण आदेश को निदेशालय स्तर से विलम्ब से जारी होना आदि, को उपयोग न हो पाने के कारण के रूप में बताय गया।
- 2006-07 में ₹0.50 करोड़ तथा 2010-11 में ₹13.33 करोड़ निदेशालय स्तर पर कम्प्यूटरों प्रिन्टरों, यू.पी.एस. की खरीद तथा मातृ-शिशु कार्ड की छपाई/पूर्ति, वृद्धि चार्ट, प्रतिदिन गृह दौरा डायरी, मैत्री समिति के लिए दिशानिर्देश तथा आंगनवाडी कार्यकर्ताओं (आं.का) के लिए दिशानिर्देश के लिए खर्च किए गए थे। ये सारी मदें, तथापि, सू.शि.सं. के अंतर्गत स्वीकार्य कार्यकलापों की सूची के अंतर्गत शामिल नहीं थी। आगे, 2008-09 के दौरान, ₹0.29 करोड़ राज्य सरकार की एक योजना के लिए विज्ञापन एवं आवेदन पत्रों की छपाई तथा आपूर्ति के लिए प्रयोग किए गए थे।

अनुशंसा

- ***मंत्रालय को इस बात पर बल देना चाहिए कि राज्य अपने वार्षिक सू.शि.सं. कार्ययोजना को वित्तीय मानकों के अनुरूप तैयार करें। सू.शि.सं. पर हुए व्यय का मॉनीटर होना चाहिए जिससे इसकी कमियों के कारणों की जांच हो सके।***

8.1.2 सूचना शिक्षा और संचार (सू.शि.सं.) गतिविधियों के कार्यान्वयन में कमी

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सू.शि.सं. कार्यकलापों को जिला एवं परियोजना स्तर पर सेमीनारों, दृश्य-श्रृव्य माध्यमों, लोक संचार, ग्राम कैम्प, महिला मंडल/मातृ समूह बैठक, गृह दौरा तथा अन्य स्थानीय संचार माध्यम यथा पोस्टर, स्लाइड, फ्लैश कार्ड, फ्लिप चार्ट, आवधिक समाचार पत्र आदि के माध्यम से पूरा करना था। राज्यों के सू.शि.सं. अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नलिखित बातें प्रकट हुईः-

- **आन्ध्र प्रदेशः** नमूना जांच किए गए स.बा.वि.से. परियोजनाओं[3] में 2009-10 के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर कोई सेमीनार/वर्कशाप आयोजित नहीं किए गए थे यद्यपि सू.शि.सं. कार्यकलापों के लिए बजट आबंटित था। फिल्म/स्लाइड/ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि की, राज्य की किसी भी परियोजना के लिए, आपूर्ति नहीं की गई थी। 2006-11 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान शो की प्रदर्शनी के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। 300 नमूना जांच किए गए आंगनवाडी केन्द्रों (आं.के.) में, मार्च 2012 तक महिला मंडल का गठन नहीं हो पाया था।
- **बिहारः** निदेशालय स्तर पर पर्याप्त निधियां उपलब्ध होने के बावजूद, राज्य तथा परियोजना स्तर पर इन्हें जारी नहीं किया गया इसलिए आं.के. पर सू.शि.सं.

[3] स.बा.वि.से. परियोजनाएं मखताल एवं भद्रा गिरि

कार्यक्रमों को नहीं चलाया जा सका।

- **मध्य प्रदेशः** जिला एवं परियोजना स्तर पर कोई संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएं आयोजित नहीं की गई तथा सात नमूना जांच किए गए जिलों के किसी भी आं.के. को किसी प्रकार की सू.शि.सं./प्रचार सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

- **ओडिशाः** 2009-11 की अवधि के दौरान, सू.शि.सं. के अंतर्गत सेवाओं को पूर्ण रूप से नजर अंदाज किया गया था। इसके कारणों का कोई अभिलेख नहीं पाया गया था।

- **उत्तर प्रदेशः** 2006-07 तथा 2009-10 के वर्षों में संस्वीकृत सू.शि.सं. कार्य योजना में लोक मीडिया, कठपुतली प्रदर्शनी, गायन, यात्रा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सेमीनार आदि को शामिल करने तथा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के साथ बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह (जून एवं दिसम्बर), स.बा.वि.से. दिवस, स्तन सप्ताह मनाने के बावजूद भी जिलो को सू.शि.सं. कार्यकलापों को चलाने के लिए कोई निधि जारी नहीं की गई। 2008-09 तथा 2009-10 में, राज्य सरकार द्वारा सू.शि.सं. कार्य योजना को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब के कारण सू.शि.सं. कार्यकलापों की क्षति हुई।

- **पश्चिम बंगालः** विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों की संचार जरूरतों का आकलन करने के पश्चात सू.शि.सं. के लिए कोई वार्षिक गतिविधि/कार्यान्वयन योजना तैयार नहीं की। सू.शि.सं. सामग्री, फिल्म का प्रापण विभाग द्वारा नहीं किया गया। 2006-11 की अवधि में केवल एक बार (2006-07) में ₹15.60 लाख का वितरण सू.शि.सं. कार्यकलापों को चलाने के लिए किया गया था। इस राशि का उपयोग लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं हो पाया क्योंकि उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे।

8.1.3 सूचना शिक्षा और संचार (सू.शि.सं.) के लिए उपकरणों तथा सामग्री का उपयोग

आठ राज्यों[4] के 40 जिलों में सू.शि.सं. सामग्री नमूना जांच किए गए 1,637 के किसी भी आं.के. ने प्राप्त नहीं की थी। चार राज्यों[5] में 12 जिलों के 480 आं.के. पर सू.शि.सं. सामग्री की प्राप्ति तथा उपयोग संबंधी कोई सूचना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। गुजरात में, 2007-08 तथा 2010-11 के दौरान चार नमूना जिलों में से एक में तथा 2008-09 के दौरान तीन जिलों में सू.शि.सं. सामग्री प्राप्त हुई थी। शेष अवधि में सू.शि.सं.सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी। राजस्थान में, 240 आं.के. में से 40 पर सू.शि.सं. सामग्री प्राप्त नहीं हुई थी।

[4] आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश
[5] झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेद्यालय तथा पश्चिम बंगाल

8.1.4 सूचना शिक्षा और संचार (सू.शि.सं.)की प्रभावशीलता का मूल्यांकन

योजना के दिशा निर्देशों में सू.शि.सं. के अंतर्गत होने वाले क्रिया कलापों के आवधिक निरीक्षण का प्रावधान है जिससे समाज में जागरूकता ज्ञान तथा इनके पड़ने वाले प्रभाव का आकलन हो सके। लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि के दौरान 10 चयनित राज्यों[6] में सू.शि.सं. का स.बा.वि.से. योजना पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। शेष तीन राज्यों[7] के संबंध में, अभिलेखों में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

अनुशंसाएं

- ***सू.शि.सं. कार्यकलापों के प्रभाव का आवधिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।***
- ***राज्यों द्वारा की गई सू.शि.सं. गतिविधियों की पुस्तिका, जिसमें अनुसंधानात्मक एवं सकारात्मक उपायों तथा बेहतरी के लिए क्षेत्रों तथा कमियों का भी उल्लेख हो, को राज्यों में समय-समय पर प्रेषित किया जाना चाहिए।***

8.2 पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा

पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा (पो.स्वा.शि) आंगनवाडी कार्यकर्ता (आ.का.) के कार्यों का आधार है। पो.स्वा.शि का दीर्घकालीन उद्देश्य महिलाओ की क्षमता का निर्माण है जिससे वे स्वयं के स्वास्थ्य की तथा साथ ही साथ अपने बच्चों एवं परिवार की पोषण आवश्यकताओं एवं विकास की भी देख-रेख कर सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आ.का. द्वारा परामर्श सत्र, गृह यात्रा तथा निदर्शन किया जाता है। पो.स्वा.शि. के क्रियान्वयन तथा अनुशरण की पूर्व जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर निर्भर है।

योजना के दिशा-निर्देशों में आ.का. द्वारा एक दिन में कम से कम दो या तीन घरों के दौरों का प्रावधान था आगे प्रत्येक आं.के. में प्रत्येक माह मातृ-समूह की एक बैठक आयोजित करनी थी। राज्यों की नमूना जांच में पो.स्वा.शि. के कार्यान्वयन में निम्न कमियां पाई गईः-

8.2.1 घरों के दौरे

लेखापरीक्षा ने पाया कि आं.का. निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप लाभार्थियों के गृहों पर यात्रा नहीं कर रहीं थी। आठ राज्यों के चयनित जिलों में 2006-07 से 2010-11 के दौरान 23 से 70 *प्रतिशत* की कमी देखी गई। आ.का. द्वारा की गई गृह यात्राओं का विवरण तालिका 8.2 में दर्शाया गया है

अच्छा-अभ्यास

पश्चिम बंगाल में आ.का. ने 1.67 लाख लक्ष्य की तुलना में 5.37 लाख यात्राएं की जो निर्धारित लक्ष्य से तीन गना अधिक थी।

[6] आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा

[7] झारखण्ड, मेघालय तथा ओडिशा

तालिका 8.2. नमूना जांचित आं.के. में आ.का. द्वारा गृह यात्रा का राज्यवार विवरण

(आंकड़े लाख में)

राज्य	चयनित आं.के. में लक्षित गृह यात्रा	वास्तव में की गई गृह यात्रा	कमी	कमी का *प्रतिशत*
आन्ध्र प्रदेश	25.58	8.25	17.33	67.74
छत्तीसगढ़	9.00	3.64	5.36	59.55
गुजरात	12.00	9.22	2.78	23.16
कर्नाटक	7.47	4.75	2.72	36.41
मेद्यालय	0.58	0.36	0.22	37.93
ओडीशा	3.46	1.04	2.42	69.94
राजस्थान	17.90	9.29	8.61	48.10
उत्तर प्रदेश	12.17	6.77	5.4	44.37
योग	88.16	43.32	44.84	50.86

गुजरात में नमूना जांचित परियोजनाओं के बाल विकास परियोजना अधिकारियों (बा.वि.प.अ.) ने जल्दी-जल्दी बैठको, छुट्टी तथा प्रशिक्षण को आ.का. द्वारा किए जाने वाले घरों के दौरों में कमी के कारणों के रूप में बताया। छत्तीसगढ़ में संबंधित परियोजना अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार यात्रा के बाद में निर्देशों को जारी किया जाएगा।

8.2.2 फिल्में एवं स्लाइड शोः

- ओडिशा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल ने किसी भी फिल्म/साइड शो का लक्ष्य नहीं बनाया था। तथापि पो.स्वा.शि. देने के लिए इन राज्यों में 146 शो आयोजित किए गए थे।
- आन्ध्र प्रदेश ने लक्षित 1190 शो की तुलना में एक भी शो आयोजित करने में विफल रहा।
- अन्य आठ राज्यों[8] में फिल्म/स्लाइड शो की न ही कोई योजना बनाई गई और न ही इनका आयोजित किया गया।

8.2.3 प्रदर्शन/अभिमुखी पाठ्यक्रम

- इस तथ्य के बावजूद कि राजस्थान ने किसी अभिमुखी पाठ्यक्रम की योजना नहीं बनाई थी, इसने 2006-11 की अवधि में वस्तुतः 104 पाठ्यक्रम चलाया।
- पश्चिम बंगाल ने अपनी योजना के अनुसार पाठ्यक्रम चलाया तथा कर्नाटक, मेद्यालय तथा ओडिशा ने अपने लक्ष्य की 80 *प्रतिशत* उपलब्धि प्राप्त की।

अच्छा अभ्यास

छः राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल) में माताओं/गर्भवती माताओं को शिशु देखभाल की शिक्षा के उद्देश्य से मातृ बैठकें निर्धारित लक्ष्य या उससे अधिक की गई थी।

[8] बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मेद्यालय, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश

- आन्ध्र प्रदेश में 1488 अभिमुखी पाठ्यक्रमों को चलाने का लक्ष्य रखा था। तथापि कोई पाठ्यक्रम नहीं चलाया गया।
- छः राज्यों[9] लघु प्रदर्शन अभिमुख पाठ्यक्रम न ही लक्षित थे और न चलाए गए।

8.2.4 मातृ-बैठक

- छः राज्य [10] अपने यहां मातृ बैठकों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे तथा उनके मामले में यह कमी 3 से 43 *प्रतिशत* थी।
- मध्य प्रदेश में न तो कोई लक्ष्य निर्धारित था न ही माताओं की शिक्षा के लिए कोई बैठक आयोजित की गई।

8.2.5 पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा (पो.स्वा.शि.) के अन्य पहलू

- 12 राज्यों[11] में पो.स्वा.शि. आन्दोलन चलाए गए जिनका उद्देश्य शिशु एवं बाल आहार अभ्यास (शि.बा.आ.) की महत्ता तथा पू.पो. में सब्जियों, फलों, दूध तथा अण्डों की महत्ता पर सामुदायिक शिक्षण प्रदान करना था। इनमें प्रतिरोधात्मक टीकों के लाभ सुक्ष्म पोषकों की विकास हेतु आवश्यकता, बच्चों का विकास एवं प्रतिरोधन की जानकारी भी दी गई। इसके अतिरिक्त, माताओं को निवल राशन, (नि.रा.) से थोडी देर में बच्चों को भोजन कराने की सलाह दी गई।
- पो.स्वा.शि. आन्दोलन से संबंधति अभिलेखों का अनुरक्षण आठ राज्यों[12] में सन्तोषजनक था लेकिन पांच राज्यों[13] ने पो.स्वा.शि. कार्यकलापों से संबंधित कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए थे।
- गुजरात में बाल विकास परियोजना अधिकारियों (बा.वि.प.अ.) ने बताया कि जिला/परियोजना/आं.के. स्तर पर इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी लेकिन पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों को महिला मंडल बैठकों, भोजन पकवान प्रतियोगिताओं, पोषण सप्ताह आदि के माध्यम से चलाया जा रहा था। इसी प्रकार, हरियाणा में पो.स्वा.शि. कार्यकलापों को मातृ बैठकों के माध्यम से 2006-11 की अवधि में चलाया गया था।
- झारखण्ड में महीने में एक बार पोषाहार दिवस निवल राशन (नि.रा.) बांटने वाले दिन आयोजित किया जाता था जब राशन प्राप्त करने आने वाली महिलाएं सूखा राशन प्राप्त करने आं.के. पर आती थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी पात्र महिलाएं (15 से 45 वर्ष) आं.के. में नामांकित नहीं थी। पो.स्वा.शि. का कार्यान्वयन घरों के दौरों या सहायक नर्सिंग मिड वाइफ के साथ संयुक्त दौरों के

---

[9] बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश

[10] छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, ओडिशा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश

[11] आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

[12] गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मेद्यालय, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

[13] आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा मध्य प्रदेश

माध्यम से नहीं हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप आच्छादन अपर्याप्त था क्योंकि पात्र महिलाओं जिनकी पहचान नहीं की गई थी पो.स्वा.शि. के लाभो से वंछित थी।

- नमूना जांच में शामिल पांच राज्यों[14] की परियोजनाओं में चयनित आं.के. में से किसी में भी अन्य क्रियाकलाप जैसे विशेष कैम्प भोजन पकाने एवं आहार प्रदान करने का तरीका आदि नहीं दर्शाया गया था।

पो.स्वा.शि. पहल ने उपरोक्त बताई गई कमियां के बावजूद, लक्षित लाभभोगियों को पोषाहार एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करने में एक दर्शनीय भूमिका निभाई। इसमें बच्चों के विकास तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने में सूक्ष्म पोषकों की महत्ता के प्रति जागरूकता पैदा करने में भी सहायता प्रदान की।

8.3 ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस (ग्रा.स्वा.पो.दि.) महीने में एक बार प्रत्येक आं.के. पर आयोजित किया जाना है। ग्रा.स्वा.पो.दि. यदि नियमित रूप से प्रभावी ढंग से आयोजित हो तो यह समुदाय में व्यावहारिक परिवर्तन ला सकता है जो नितान्त आवश्यक है। यह समुदाय में स्वास्थ्य-अन्वेषण व्यवहार का उत्प्रेरक बनकर बेहतर स्वास्थ्य परिणामों का कारक बन सकता है। इसकी योजना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के (प्रा.स्वा.के.) मेडिकल आफिसर तथा बा.वि.प.अ. द्वारा संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। मेडिकल अफसर/स.न.मि., आं.के. तथा समेकित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यवती (आशा) को इस दिन उपस्थित रहना चाहिए जिससे बच्चों एवं महिलाओं की स्वास्थ्य जांच एवं प्रतिरोधक हो सके। प्राक प्रसव देखभाल (ए.एन.सी.) रजिस्टर प्रसवोपरांत देखभाल (पी.एन.सी.), स्वास्थ्य जांच आदि अभिलेख आ.का. तथा आशा की सहायता से अनुरक्षित किए जाने चाहिए।

विभिन्न परियोजना कार्यालयों तथा आं.के. की नमूना जांच से निम्न प्रकट हुआ।

- **पश्चिम बंगालः** नमूना जांच में शामिल जिलों में 2006-10 की अवधि में ग्राम स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस (ग्रा.स्वा.पो.दि.) आयोजित नहीं किया गया। 2010-11 में आवश्यक 4,75,152 की तुलना में नमूना जांच में शामिल जिलों में केवल 50,220 ग्रा.स्वा.पो.दि. (11 *प्रतिशत*) आयोजित किए गए।
- **राजस्थानः** 2006-11 के दौरान नमूना जांच में शामिल आं.के. (एक जिले में 40) में 2400 ग्रा.स्वा.पो.दि. में से 1209 ग्रा.स्वा.पो.दि. में चार जिलों में स.न.मि.वा. उपलब्ध नहीं थे।
- **ओडिशाः** 2008-09 से 2010-11 की अवधि के लिए नमूना जांच में शामिल पांच जिलों के 198 नमूना जांच वाले आं.के. पर 4215 ग्रा.स्वा.पो.दि. की तुलना में केवल 2178 ग्रा.स्वा.पो.दि. आयोजित किए गए थे।

---

[14] आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा तथा मेघालय

- **कर्नाटकः** बेल्लारी तथा उत्तर कन्नड जिलों में नमूना जांच में शामिल आं.के. पर ग्रा.स्वा.पो.दि. आयेजित करने में 20 से 21 *प्रतिशत* की कमी पाई गई। आगे, चिकमगलूर तथा उत्तर कन्नड जिलों में ग्रा.स्वा.पो.दि. पर स.न.मि.वा. मौजूद नहीं थे।
- **गुजरातः** लक्षित तथा वास्तव में आयोजित ग्रा.स्वा.पो.दि. की संख्या, सहायक नर्सिंग मिडवाइफ (स.न.मि.वा.)/चिकित्सा अधिकारी और आंगनवाडी कार्यकर्ता (आं.का.) द्वारा ग्रा.स्वा.पो.दि. की योजना तथा कार्यवाही के प्रलेखन के बारे में राज्य नोडल निदेशालय के पास सूचना उपलब्ध नहीं थी। विभाग ने बताया कि ग्रा.स्वा.पो.दि. मनाने के लिए तथा अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नोडल विभाग था। विभाग का उत्तर इस आलोक में देखा जाना चाहिए कि ग्रा.स्वा.पो.दि., आं.के. पर आयोजित किए गए थे। यह स.बा.वि.यो.के. लांभार्थियों को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करके स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के प्राथमिक स्तर पर एकीकरण का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार, ग्रा.स्वा.पो.दि. के अभिलेखों का अनुरक्षण दोनों विभागों, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग, द्वारा वांछित है।

ग्रा.स्वा.पो.दि. की कमी, पर्यवेक्षक, महिला स्वास्थ्य परिदर्शन (म.स्वा.प.) मेडिकल अफसर प्रभारी सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी से समुचित सामंजस्य की कमी दर्शाता था। आगे, स.बा.वि.से. के लाभार्थियों में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए अवसर का पूर्ण रूप से दोहन नहीं किया जा सका।